संख्या–पी–26/81–2–2021–79/1991

**प्रेषक,**

आर0 पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

**पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–2** **लखनऊ, दिनांक** 22 **फरवरी, 2021**

**विषय– जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि0 की ककरी परियोजना को कोयला खनन हेतु लीज पर हस्तान्तरित 185.84 हे0 आरक्षित वनभूमि के लीज नवीनीकरण के संबंध में ।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–1865/11–सी, दिनांक 01.02.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है विषयगत प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

1. भारत सरकार द्वारा की गई आपत्ति के बिन्दु संख्या–1 के अनुपालन में आपकी स्पष्ट आख्या/संस्तुति प्राप्त नहीं है।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रश्नगत भूमि से इतर वन भूमि को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के आधार पर नियमानुसार अन्य एजेंसियों को दिये जाने हेतु विधिमान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है, जिसके आलोक में मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर व प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट की स्पष्ट संस्तुति/आख्या प्रस्तुत नहीं की गई है।

**भवदीय,**
RPSingh
(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

**प्रतिलिपि–** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट।
3. महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्ड्स लि0 ककरी परियोजना, ककरी सोनभद्र।
4. गार्डफाइल।

**आज्ञा से,**

(आर0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

Data D. Rajesh. GO 1